13-8-24 वकील प्रार्थी ने उपस्थित हो ~~[illegible]~~
पत्र वास्ते तलबी पत्रावली एवं शीघ्र
सुनवाई बाबत पेश करने पर पत्रावली
तलब की गई। प्रार्थना पत्र मूल वाद
के साथ संलग्न किया। पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा
किनोर प०ह० किनोर के खाता सं० 279 में
स्थित आ.नं. 779 रकबा 0-06 हे. आ.नं.
780 रकबा 1-00 हे. कुल किता 2
कुल रकबा 1-06 हे. भूमि प्रार्थी के नाम
दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थी के खातेदारी काश्त
में है। विपक्षी संख्या 1 उक्त आराजीयात
को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है।
एवं प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जबरन
कब्जा करने पर उतारू है। अतः विपक्षी
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि
वे प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर
जबरन कब्जा न करे मदाखलत मुखालफत नहीं करे।
आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे। उक्त वृक्ष
न स्वयं काटे एव अन्य किसी से कटावे।

वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन
किया। विपक्षी को जारी नोटिस बाद तामील है।
जो शा.मा. है। विपक्षी उपस्थित नहीं है। संलग्न
जमाबन्दी संवत 2074-77 के अनुसार प्रार्थी मौजा
किनोर की आ.नं. 779 एवं 780 का खातेदार
काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार नहीं
आया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा
का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त
वादग्रस्त आराजी को लेकर मूल वाद के
निस्तारण विपक्षी सं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता कि वह प्रार्थी की उक्त
आराजीयात में [illegible]